प्रेस विज्ञप्ति

<u>सराहनीय कार्य जनपद एटा।</u>

<u>एटा ~ थाना मिरहची क्षेत्र में राजकीय ठेकेदार व गैस एजेंसी संचालक से फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित चल रहा आरोपी युवक गिरफ्तार।</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में थाना मिरहची पुलिस द्वारा थाना मिरहची पर पंजीकृत मुअसं- 44/20 धारा 386,507 भादंवि में फरार चल रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है।

घटना:- दिनांक 16.03.2020 को वादी श्री प्रदीप सिसौदिया निवासी ग्राम धीरामई थाना मिरहची एटा द्वारा थाना मिरहची पर इस आशय की सूचना दी गई कि वादी के मोबाइल पर एक अज्ञात फोन नम्बर से फर्जी कॉल आयी जिसमें अभियुक्त ने धमकी देकर 10 लाख की चौथ मांगी है। इस सूचना पर थाना मिरहची पर मुअसं- 44/20 धारा 386, 507 भादंवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी:- दिनांक 23.12.2020 को थाना मिरहची पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 44/2020 धारा 386, 507 में वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू को सर्विलांस की मदद से कस्बा मिरहची चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामपताः-

1.चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू पुत्र महेन्द्र पाल सिंह निवासी कल्याणपुर रोड़ नियर रेलवे फाटक दुर्गा कॉलोनी कासगंज थाना व जिला कासगंज ।